

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक प.4(5)ले.मु./सान्याअवि/2021-22/ 29419

जयपुर, दिनांक: 2/7/21

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती संख्या- 09 /2021-22

मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में दी गई सहायता राशि के पुनर्भरण हेतु वित्त विभाग की सहमति आई.डी. सं. 162100538 दिनांक 29.06.2021 के क्रम में मार्च 2021 तक (बकाया राशि) एवं अप्रैल 2021 में भुगतान की गई राशि के पेटे राशि रु. 800.00 लाख (अक्षरे राशि रु. आठ करोड मात्र) मुख्यमंत्री सहायता कोष के निजी निक्षेप खाते में अंतरित करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि निम्नांकित लेखा शीर्ष से वहन की जायेगी :-

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

200- अन्य कार्यक्रम

(19)- सडक दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत अनुदान

[00]-

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि

यह स्वीकृती निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

1. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे।
3. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
4. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय निर्धारित समय में स्वीकृत उद्देश्य पर ही किया जावे तथा निर्धारित समय में खर्च नहीं हुई राशि राजकोष में पुनः जमा कराई जावे।
5. व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेगे।

(ओम प्रकाश बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
सान्याअवि, जयपुर

क्रमांक प.4(5)ले.मु./सान्याअवि/2021-22/ 29420-30

जयपुर, दिनांक: 2/7/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक/ लेखा परीक्षा, राज., जयपुर।
2. सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2), विभाग, राज. को उनकी अन्तर्विभागीय सहमति संख्या 162100538 दिनांक 29.06.2021 के क्रम में।
4. निदेशक (बजट), सचिवालय, राज., जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष के निजी निक्षेप खाते में राशि रु. 800.00 लाख (अक्षरे राशि रु. आठ करोड मात्र) तत्काल अन्तरित कर इस विभाग को सूचित कराने का श्रम करावे।
5. निजी सचिव, निदेशक, सान्याअवि, मुख्यालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, क.(ए) 98. नं. शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को ऑनलाईन करने हेतु।
10. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक  
(सतर्कता एवं प्रशासन)